



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247332
CG-DL-E-14072023-247332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]
No. 490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/159/16/डीडी/206/2016/बीओडी/408/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. रंगानाथन के (सदस्यता संख्या 010842), हाउस नंबर 12-13-424, स्ट्रीट नंबर 11, (बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाली लेन), तारनाका, सिकंदराबाद (तेलंगाना) 500017, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. रंगानाथन के (सदस्यता संख्या 010842) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. रंगानाथन के (सदस्यता संख्या 010842) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बन्ना, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./273/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/159/16/DD/206/2016/BOD/408/2017: In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Ranganathan K (Membership No. 010842), H No. 12-13-424, Street No. 11, (Lane opposite to Bank of Baroda), Tarnaka, SECUNDERABAD(Telangana) 500017**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Ranganathan K (Membership No. 010842)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Ranganathan K (Membership No. 010842)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 14th July, 2023.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exy./273/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247333
CG-DL-E-14072023-247333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]
No. 491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/278/16/डीडी/308/2016/बीओडी/467/2018 : चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. वीरेंद्र विश्वनाथ पाटिल (सदस्यता संख्या 220542), शिशंकर परिसर, दुकान नंबर 3, 326/एफएफ/1, मिलन चौक, कालाबुर्गी (कर्नाटक) 585 001, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. वीरेंद्र विश्वनाथ पाटिल (सदस्यता संख्या 220542) के नाम को 15(पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. वीरेंद्र विश्वनाथ पाटिल (सदस्यता संख्या 220542) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 15(पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./274/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/278/16/DD/308/2016/BOD/467/2018.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Veerendra Vishwanath Patil (Membership No. 220542), Shishankar Complex, Shop No. 3, 326/FF/1, Milan Chowk, KALABURAGI (Karnataka) 585 001**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Veerendra Vishwanath Patil (Membership No. 220542)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Veerendra Vishwanath Patil (Membership No. 220542)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 14th July, 2023.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./274/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247334
CG-DL-E-14072023-247334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]
No. 492]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/48एफ/16/डीडी/228/2016/बीओडी/513/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सी.ए. कुमार जी. (सदस्यता संख्या 025885), "विगफिन हाउस", नया नंबर 24 (पुराना नंबर 15), योगाम्बल स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु) 600017, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सी.ए. कुमार जी. (सदस्यता संख्या 025885) के नाम को 30 (तीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सी.ए. कुमार जी. (सदस्यता संख्या 025885) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 30 (तीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./275/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/48F/16/DD/228/2016/BOD/513/2019.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Kumar G. (Membership No. 025885), “VIGFIN House”, New No. 24 (Old No. 15), Yogambal Street, T. Nagar, CHENNAI(TAMILNADU) 600017**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Kumar G. (Membership No. 025885)** from the Register of Members for a period of 30(Thirty) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Kumar G. (Membership No. 025885)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 30(Thirty) days with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ety./275/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247335
CG-DL-E-14072023-247335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]
No. 493]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/294/19/डीडी/287/2019/बीओडी/570/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450), वरिष्ठ लेखा परीक्षक, अल जाबेर ग्रुप एलएलसी, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./276/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/294/19/DD/287/2019/BOD/570/2020.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450), Senior Auditor, Al Jaber Group LLC, Internal Audit Department, ABU DHABI, United Arab Emirates**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the said Rules ordered for removal of the name of **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed an fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Etxy./276/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247336
CG-DL-E-14072023-247336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]
No. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/011/16/डीडी/45/आईएनएफ/17/बीओडी/573/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. दीपक अग्रवाल (सदस्यता संख्या 092865), बी-3, 105, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् दीपक अग्रवाल (सदस्यता संख्या 092865) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. दीपक अग्रवाल (सदस्यता संख्या 092865) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./277/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/011/16/DD/45/INF/17/BOD/573/2020.—In terms of the provisions of Section 21A (3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Deepak Aggarwal (Membership No. 092865), B-3, 105, Prerna Complex, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, DELHI 110092**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Deepak Aggarwal (Membership No. 092865)** from the Register of Members for a period of 01 (One) month and also imposed a Fine of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Deepak Aggarwal (Membership No. 092865)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01 (One) month with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exy./277/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247337
CG-DL-E-14072023-247337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]
No. 495]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/73/17/डीडी/98/2017/बीओडी/525/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. नीरज बंसल (सदस्यता संख्या 088870), 84, मांडल बस्ती, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. नीरज बंसल (सदस्यता संख्या 088870) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. नीरज बंसल (सदस्यता संख्या 088870) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./278/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/73/17/DD/98/2017/BOD/525/2019.—In terms of the provisions of Section 21A (3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Neeraj Bansal (Membership No. 088870), 84, Model Basti, East Park Road, Karol Bagh, NEW DELHI 110005**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Neeraj Bansal (Membership No. 088870)** from the Register of Members for a period of 15 (Fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Neeraj Bansal (Membership No. 088870)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exy./278/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247338
CG-DL-E-14072023-247338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]
No. 496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/101/2020/डीडी/155/2020/डीसी/1521/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. अभय बालकृष्ण उपाध्ये (सदस्यता संख्या 049354), बी-503, केशव इंपीरियल, मालवीय रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) 440022, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के मद (5), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. अभय बालकृष्ण उपाध्ये (सदस्यता संख्या 049354) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए.अभय बालकृष्ण उपाध्ये (सदस्यता संख्या 049354) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./279/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/101/2020/DD/155/2020/DC/1521/2021.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Abhay Balkrishna Upadhye (Membership No. 049354), B-503, Keshav Imperial, Malviya Road, NAGPUR(Maharashtra) 440022**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5), (7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Abhay Balkrishna Upadhye (Membership No. 049354)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Abhay Balkrishna Upadhye (Membership No. 049354)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./279/2023-24]